.–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 95/2025

उनवान

किशना दत्तक पुत्र गोपी जाति भील निवासी ग्राम जसवंतपुरा, लोहरवाा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——— प्रतिवादीगण :– जरियें राज. पैरोकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 10/7/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.53, 1032 रकबा 0.11, 1033 रकबा 0.03 व 1034 रकबा 0.47 की आराजी राजस्व अभिलेख में वादी के दत्तक पिता गोपी पुत्र रूपा के नाम दर्ज है। गोपी की मृत्यु दिनांक 08.03.1994 को व उसकी पत्नी रूकमा की मृत्यु दिनांक 10.06.2020 को हो गयी है। गोपी व उसकी पत्नी ने वादी को अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था। गोपी व रूकमा की मृत्यु के बाद समस्त जिम्मेदारी वादी ने ही निभायी है। वादी के समस्त दस्तावेज में किशना दत्तक पुत्र गोपी ही दर्ज है। एक दुनाली बन्दुक का लाईसेंस भीगोपी पुत्र रूकमा की मृत्यु के बाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद द्वारा दिनांक 28.3.97 को आवेदन करने पर वादी के नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से हस्तांतरित किया गया। न्यायालय श्रीमान सिविल जिला न्यायाधीश, अजमेर में वादी द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 50/2014 किशना बनाम प्रभु अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पेश किया गया जो स्वीकार कर वादी को गोपी पुत्र रूकमा छोडी गयी सम्पति का प्रशासन पत्र प्रदान किया। तहसील कार्यालय में आराजी मुतनाजा वादी के नाम दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया किन्तु तहसीलदार महोदय द्वारा आदेश की पालना नही की गयी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बन्दूक लाईसेंस की प्रति, सिविल न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.53, 1032 रकबा 0.11, 1033 रकबा 0.03 व 1034 रकबा 0.47 की आराजी राजस्व अभिलेख में वादी के दत्तक पिता

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

गोपी पुत्र रूपा के नाम दर्ज है। गोपी व उसकी पत्नी रूकमा की मृत्यु हो गयी है। वादी का कथन है कि गोपी व उसकी पत्नी ने वादी को अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था। गोपी व रूकमा की मृत्यु के बाद समस्त जिम्मेदारी वादी ने ही निभायी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में किशना पुत्र गोपी ही दर्ज है। एक दुनाली बन्दुक का लाईसेंस भीगोपी पुत्र रूकमा की मृत्यु के बाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद द्वारा दिनांक 28.3.97 को आवेदन करने पर वादी के नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से हस्तांतरित किया गया। वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान सिविल जिला न्यायाधीश, अजमेर में दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 50/2014 किशना बनाम प्रभु अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पेश किया गया जो स्वीकार कर वादी को गोपी पुत्र रूकमा छोडी गयी सम्पति का प्रशासन पत्र प्रदान किया। किन्तु उक्त प्रकरण में वादी को दत्तक पुत्र घोषित नही किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.11.24 में दत्तक पुत्र के दस्तावेज के अभाव में विरासत दर्ज नही करने का अंकन है। वादी द्वारा गोदनामे की कोई लिखत पेश नही की है। वादी के पास पंजीकृत गोदनामा भी नही है। वादी द्वारा गोपी पुत्र रूपा का दत्तक पुत्र होने के कोई लिखित व ठोस दस्तावेज पेश नही किये है।

उक्तानुसार ग्राम जसवंतपुरा के हाल खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.53, 1032 रकबा 0.11, 1033 रकबा 0.03 व 1034 रकबा 0.47 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से निस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये प्रकरण में धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:07 IST
Reason: SelfAttested